मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक तथा विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 16/12/2024 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक तथा विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ मंत्रालय स्थित वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष क्रमांक 117 में मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 16-12-2024 सायंकाल 04:30 बजे से आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक तथा विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी सचिव उपस्थित रहे। रीवा संभाग से आंचलिक अधिकारी समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

--0--

आवक- आय की समीक्षा-:-

प्रगामी आवक में अप्रैल से नवम्बर 2023-24 की तुलना में भोपाल संभाग में 05.50 प्रतिशत की कमी, इंदौर संभाग में 7.16 प्रतिशत की कमी, उज्जैन संभाग में 14.89 प्रतिशत की कमी एवं सागर संभाग में 1.34 प्रतिशत की कमी रही।

पिछले माह हुई बैठक में आय-आवक में 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से अधिक कमी वाली मंडी समितियों के 78 मंडी सचिवों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए गए, जिसमें भोपाल संभाग के 49 मंडियों में से 22 मंडियों के मंडी सचिव, इंदौर संभाग की 34 मंडियों में से 14 मंडियों के मंडी सचिवों, उज्जैन में 26 मंडी सचिवों को इसी प्रकार ग्वालियर संभाग अंतर्गत 06 मंडी सचिवों, सागर संभाग अंतर्गत में 06 मंडी सचिवों, जबलपुर संभाग अंतर्गत 04 मंडी सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। मार्च 2025 तक पिछले साल की तुलना में अधिक आय/आवक प्राप्त करने पर कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त करने एवं कमी होने पर विभागीय जांच प्रांरभ करने के साथ ही कारण बताओ सूचना पत्र का तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। ऋणात्मक आवक/आय वाली मंडी समितियों के मंडी सचिवों से

मंडीवार समीक्षा की गई एवं आवक/आय को बढाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए।

संभागवार मासिक आय की समीक्षा की गई जिसमें भोपाल संभाग की मासिक आय नवम्बर 2023 की तुलना में 13.61 प्रतिशत कम तथा सबसे अधिक रीवा संभाग की मासिक आय पिछले साल की तुलना में 64.94 प्रतिशत की अत्यधिक कमी पाई गई, रीवा संभाग अंतर्गत कोतमा, जैतहरी, बुढार मंडी की आय-आवक की स्थिति नगण्य है। रीवा संभाग की मंडियों एवं आंचलिक कार्यालय की समीक्षा हेतु मुख्यालय से टीम बनाकर जांच करने एवं रीवा संभाग अंतर्गत समस्त मंडियों के आय-व्यय की समीक्षा के निर्देश अपर संचालक (वित्त) को दिए गए।

लेखा संबंधी निर्देश:-

समस्त मंडी सचिव मंडियों में बैलेंस शीट व्यवस्थित करें, केशबुक, इनकम एक्सपेंडीचर मेंनटेन करें, टेली अकाउंटिंग करें एवं लोकल स्तर पर मंडियों में चार्टर्ड अकांउटेंट इस काम हेतु रखें। 30 दिवस में प्रक्रिया का पालन कर 01 चार्टेड अकांउटेंट रखें, 31 मार्च 2025 तक समस्त मंडियों को यह कार्य पूर्ण करने हेतु निर्दशित किया गया। समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालक उक्त स्थिति की सतत निगरानी करें साथ ही समय पर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।मुख्यालय स्तर से इस संबंध में एक निर्देश जारी करने के उल्लेख किया गया साथ ही मुख्यालय स्तर से गाईडलाइन भी जारी की जाएगी।आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण भी दिलाया जाए। केशबुक – बैंक अकांउटस की डिटेल्स से मैच हों। इस संबंध में इदौर संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति कुक्षी के सचिव(श्री हिम्मत सिंह जमरा) द्वारा बताया गया कि कुक्षी के लेखापाल श्री भागीरथ यादव द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, उनकी मंडी की केशबुक व बैंक की पासबुक का पूर्ण रूप से मिलान हो रहा है व अन्तर की राशि शून्य है अर्थात केशबुक-बैंक डिटेल्स पूर्ण रूप से मिलान हो रहे हैं। इसके लिए कुक्षी मंडी के लेखापाल के साथ संभाग की सभी मंडियों के लेखापालों की संयुक्त बैठक कराई जाकर अन्य मंडियों में भी बैलेंस शीट व्यवस्थित करने के निर्देश दिये गये। सचिव मंडी समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं अत: उनसे अपेक्षा की जाती है कि अपनी मंडी की समस्त जानकारी रखें। मंडी समिति सेवा के कर्मियों का एनपीएस लागू कर प्रान नंबर का आवंटन किया जाना है इस हेतु निर्देशिका जारी की गई है। 31 जनवरी 2025 तक समस्त मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों के एनपीएस खाता खोलने की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

आरआरसी वसूली कार्यवाही:-

आरआरसी वसूली के प्रकरणों में समस्त आंचलिक अधिकारी स्वयं मॉनीटरिंग करते हुए वसूली कराएं। लक्ष्य निर्धारित करते हुए उक्त कार्यवाही को समय-सीमा में पूरा करें।

फ्लाइंग स्क्वाड:-

समस्त आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिव लक्ष्य निर्धारित कर निरीक्षण की कार्यवाही करें एवं मंडी शुल्क अपवंचन की ज्यादा से ज्यादा वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें।

शिकायत/विभागीय जांच/निलंबन एवं अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण:-

शिकायतों की जांच समय-सीमा में पूरा कर प्रतिवेदन भेजें, भोपाल के -33, इंदौर- 53, उज्जैन-56, ग्वालियर- 39, सागर-16 , जबलपुर- 97, रीवा-11 एवं मुख्यालय में 16 इस प्रकार कुल 321 शिकायते लंबित हैं। 15 दिवस से अधिक कितनी शिकायतें है यह आगामी बैठक में रखा जाए।

39 विभागीय जांच लंबित चल रहीं है जिसमें सबसे ज्यादा भोपाल संभाग से 13 प्रकरण के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाना है, जबलपुर से 10, सागर से 06, इंदौर से 05, रीवा से 04 एवं उज्जैन से 01 आगामी 15 दिवस में टीप सहित प्रस्तुत करें।

लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू/गबन के मामले को छोड़कर शेष प्रकरणों में निलंबित कर्मचारियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाए, विभागीय जांच का 03 माह में निराकरण करें। शिकायत/विभागीय जांच को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश हैं।

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण समय-सीमा में समाप्त होने चाहिए । 31.12.2024 तक समस्त प्रकरणों को निराकृत करने एवं कर्मचारियो से संबंधित मामलों मे तुरंत निराकरण करने के निर्देश हैं।

संलग्नीकरण एवं प्रभार की कार्यवाही:-

समस्त आंचलिक अधिकारी मंडी बोर्ड मुख्यालय से जारी आदेश क्रमांक/स्थापना/अ-2/विविध/3497/832,भोपाल दिनांक 31 जुलाई 2024 का अनुसरण करें एवं भविष्य में किसी भी मंडी में प्रशासनिक आधार पर संलग्नीकरण किया जाना आवश्यक हो तो बोर्ड मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करें एवं मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर संलग्नीकरण की कार्यवाही की जाए साथ ही अतिरिक्त प्रभार संबंधी कार्यवाही के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करें एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुख्यालय स्तर पर 03 दिवस में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश हैं।

भूमि का नामांतरण एवं अतिक्रमण:-

समस्त मंडी सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि मंडी समिति की भूमि मंडी के नाम पर कराएं एवं इस संबंध में RCMS पोर्टल पर आवेदन करें। प्रबंध संचालक की ओर से शासकीय जमीन के आवंटन में आवेदन करने के लिए समस्त मंडी सचिव को अधिकृत करें इस संबंध में मुख्यालय से निर्देश जारी करें। कितने मंडियों की ऑनरशिप हमारे नाम पर नहीं हैं इसकी जानकारी आगामी बैठक के एजेण्डा में रखी जाए इस कार्य को प्राथमिकता से किया जाए एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए की मंडी प्रांगण में अतिक्रमण की स्थिति निर्मित नहीं हो साथ ही प्लेटफॉर्म रिक्त रहें। मंडी प्रांगण के अंदर किसानों को नीलामी आदि के कार्य में परेशानी नहीं हो इस दिशा में कार्य करें।

प्रापर्टी की नीलामी का कार्य ई-आक्शन के माध्यम से किया जाए एवं 2009 के भूमि एवं संरचना आवंटन नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

एफपीओ लाइसेंस:-

एफपीओ रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस की प्रक्रिया को लक्ष्य बनाकर पूरा करें। जिला मुख्यालय के मंडी सचिव एफपीओ लाइसेंस प्रक्रिया में जिला नोडल होंगे। जिले के मंडी सचिव जिले के उपसंचालक कृषि से जिले में कार्यरत एफपीओ की सूची प्राप्त करें एवं समन्वय स्थापित कर एफपीओ को मंडी लाइसेंस देने की दिशा में कार्य करें साथ ही जो एफपीओ लाइसेंस प्राप्त नहीं करना चाहते उनसे लिखित में प्राप्त करें। कलेक्टर समय-सीमा बैठक में भी जिला अधिकारी को एफपीओ लाइसेंस की प्रक्रिया से अवगत कराएं, इस प्रकार 100 प्रतिशत एफपीओ लाइसेंस की प्रक्रिया को 01 माह में पूरा करने के निर्देश हैं।

ई-मंडी:-

ई-मंडी के सफल क्रियान्वयन की दिशा में "ख" श्रेणी की 41 मंडी समितियों को मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया गया है एवं यूजर मैन्यूल दिए गए हैं । "ख" श्रेणी की मंडियों में 01 जनवरी 2025 से ई-मंडी योजना को लागू किए जाने के निर्देश है साथ ही इनके साथ एक-एक "क" श्रेणी की मंडियों को संलग्न किया जाए एवं इस दिशा में व्यवाहरिक प्रशिक्षण प्राप्त करें। मार्च तक "ग' श्रेणी की मंडियों में एवं जून तक प्रदेश की समस्त मंडियों में ई-मंडी के सफल क्रियान्वयन के निर्देश हैं। मंडी सचिवों से इस दिशा में बेहतर कार्य करने की अपेक्षा है।

फॉर्मगेट एप:-

फॉर्मगेट एप पर किसानों के पंजीयन के निर्देश है इस संबंध में मंडी समिति में कियोस्क लगाकर या मंडी समिति के कर्मचारी किसानों के साथ समन्वय कर फॉर्मगेट एप के संबंध में अवगत कराएं एवं इस दिशा में सक्रियता से कार्य करें आवश्यकता होने

पर सीईओ जिला पंचायत से समन्वय कर सहयोग प्राप्त करें जिससे फॉर्मगेट एप का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके। आंचलिक अधिकारी मंडीवार फॉर्मगेट एप पर रजिस्ट्रेशन की निगरानी करें।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

- ई-नेम की डीपीआर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश हैं।
- म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र क्रमांक/AGR/18/0016/2024-sec-2-14(389490)/1961, भोपाल दिनांक 16/12/2024 के माध्यम से लेख किया गया है कि मंडी सेवा के कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं निलंबित करने के अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को हैं। इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही या निलंबित करने की कार्यवाही आवश्यक होने पर प्रस्ताव संभागायुक्त/कलेक्टर द्वारा प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्रेषित किए जाएंगे इस संबंध में उक्त पत्र को मंडी बोर्ड के आंचलिक अधिकारी और मंडी सचिव संबंधित जिला कलेक्टर को अवगत कराएं।
- मंडी सचिव संबंधित संभाग के आंचलिक अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडेंगे। अनावश्यक छुटिटयां ना लें और अपने कार्यक्षेत्र पर ही निवास करें।
- समीक्षा बैठक में समस्त मंडी सचिवों की उपस्थिति आंचलिक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
- मंडी सचिव यह सुनिश्चित करेंगे की मंडी में पीने का पानी, शौचालय, केंटीन अच्छा हो मंडी परिसर में साफ- सफाई, पानी की टंकी की सफाई उचित तरीके से हो किसानों को असुविधा न हो साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
- समस्त आंचलिक अधिकारी अपने स्तर पर निरीक्षण करें की किस मंडी में कितने आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता है, कार्य के अनुपात में आउटसोर्स कर्मी उपलब्ध रहें एवं आवश्यकता से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को न रखें।इस संबंध में आंचलिक अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- मंडी समिति के कार्यालय स्वच्छ हों । किसानों का समय पर भुगतान हो किसानो के रूकने हेतु व्यवस्थित व स्वच्छ कृषक विश्राम गृह की व्यवस्था हो एवं कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था हो। बडी मंडियां साफ- सफाई की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से कराने की कोशिश करें। मंडियो में संकेतक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र उचित स्थान पर स्थापित हों।

- कोई भी मंडी का लेआउट आंचलिक अधिकारी स्वयं देखें, ट्रेफिक प्लान कर लेआउट का अनुमोदन /स्वीकृति प्रबंध संचालक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें एवं लेआउट में कोई भी परिवर्तन बिना प्रबंध संचालक के अनुमोदन के नहीं हो।
- कई मंडियो में किसानों को तौल कराने में हम्मालों को 02 बार भुगतान करना पड़ रहा है। प्रांगण शाखा इस संबंध में निर्देश जारी करें। मंडी समितियां स्थानीय स्तर पर इस संबंध में कार्यवाही नहीं करें।
- 01 जनवरी 2025 से ड्रेस कोड लागू किए जाने के निर्देश हैं।
- बजट के लिए गाईडलाईन तैयार करने के निर्देश हैं।
- आई.टी. में Gap Analysis पर कार्य किया जाए।
- अगले वित्तीय वर्ष से ए ग्रेड एवं बी ग्रेड की मंडियो की रैंकिंग की जाएगी इस संबंध में निर्देश मुख्यालय स्तर से जारी होगें जिसमें मंडी की आवक तथा आय, मंडी प्रांगण के अंदर किसानों की सुविधा, व्यापारियों की सुविधा, साफ-सफाई, मंडी प्रांगण में जल व्यवस्था, कचरे निपटान की उचित व्यवस्था, मंडी समिति के कार्यालय आदि के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। श्रेष्ठ 03 मंडियों को मुख्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 259 मंडी समितियों के साथ फल सब्जी मंडियों के लिए नि:शुल्क टेबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आंचलिक अधिकारी सुनिश्चित करें की मंडी सचिव इस दिशा में कार्य करें।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/व्ही.सी.बै./दिस./2024/2080 भोपाल, दिनांक/19/12/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
5. संयुक्त संचालक /उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय (समस्त)
6. कार्यपालन यंत्री/उप संचालक/सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
7. कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री,मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग(समस्त) ।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति..... (समस्त)|

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल